सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:— 04 / दावा / 2021

दायरा दिनांक :— 05.01.2021

GCMS ID—2021 / 28

बउनवान

1. ओमप्रकाश आ0 प्रभूलाल जाति कलाल निवासी बडोदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. छेलबिहारी आ0 प्रभूलाल जाति कलाल निवासी बडोदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. दीपक आ0 प्रभूलाल जाति कलाल निवासी बडोदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. बृजमोहन आ0 प्रभूलाल जाति कलाल निवासी बडोदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. काली बाई पत्नी प्रभूलाल जाति कलाल निवासी बडोदिया तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. कैलाश बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नी श्री निर्मल कुमार जाति कलाल निवासी कुन्हाडी कोटा।
7. ललिता पुत्री प्रभूलाल पत्नी पुरूषोत्तम जाति कलाल निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0

वादीगण

बनाम

1. डालीबाई पत्नी श्री जयकिशन जाति माली निवासी बडोदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मीना पुत्री जयकिशन पत्नी श्री सुरजमल जाति माली निवासी बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956
की धारा 183, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत कब्जा भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वकील वादी :— श्री विजय मोहेश्वरी
वकील प्रतिवादी :— एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक :— 13 / 08 / 2025

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की कृषि भूमिया खसरा संख्या 1914 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1915 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा सख्या 2160 रकबा 1.1736 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2161 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा सख्या 2162 रकबा 0.7608 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2163 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2210 रकबा 0.0647 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.2257 हैक्टेयर वाके ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत है। उक्त भूमियों में से भूमि खसरा संख्या 2210 रकबा 0.0647

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हैक्टेयर (8 बिस्वा) भूमि वर्षो से खलियान के रूप में काम आती रही है एंव राजस्व रिकॉर्ड में भी उक्त भूमि खलिहान दर्ज है। उक्त भूमि खसरा संख्या 2210 बडौदिया त्रिशुल्या जाने वाले रास्ते के पास विरिथत है। उक्त भूमि के सहारे प्रतिवादी संख्या 2 मीना व उसके अन्य सह खातेदार की कृषि भूमिया विरिथत है। उक्त खलिहान की भूमि वादीगण की अन्य भूमियों से थोडी दूर विरिथत होने व प्रतिवादी संख्या 2 की भूमिं उक्त खलिहान की भूमि के साथ विरिथत होने का नाजायज लाभ उठाकर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से जून 2018 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबरन उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमी के रूप में काबिज है। दिनांक 28.12.2020 को वादीगण को जानकारी मिली की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 2210 पर जबरन मकान इत्यादि बनाकर निर्माण करने पर आमादा है। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमिं वादीगण के स्वामित्व की भूमि है, प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर जबरन किसी प्रकार का निर्माण आदि करने का प्रयत्न नहीं करे तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण को कहा कि वादग्रस्त भूमि पर वे मकान इत्यादि का निर्माण कराऐगे जो कोई भी निर्माण में बाधा उत्पन्न करेगा उसे अपनी ज़ान से हाथ धोना पडेगा। इस प्रकार प्रतिवादीगण का यह कृत्य अवैध एवं भूमि की प्रकृति को बदलने वाला है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादीगण की भूमि पर कब्जा करने अथवा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कमान इत्यादि स्थाई निर्माण करने का कोई अधिकार है। प्रतिवादीगण वादीगण के स्वामित्व की उक्त भूमि पर अतिक्रमी है। वादीगण को प्रतिवादीगण से उक्त भूमि का कब्जा वापस प्राप्त करने का अधिकार है एवं वादीगण को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करावे कि वे वादग्रस्त भूमि पर कोई स्थाई अथवा अस्थाई प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे। साथ ही वादीगण प्रतिवादीगण से जून 2018 से कब्जा प्राप्ति तक 5,000 रूपये प्रति वर्ष हर्जा राशि भी प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण को वाद कारण जनू 2018 से लगातार उत्पन्न हो रहा है। वाद अवधि मध्य पेश है। वादग्रस्त भूमि ग्राम बडौदिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से उक्त वाद के श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण की प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 2210 रकबा 0.0647 हैक्टेयर वाके ग्राम बडौदिया जिस पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा किया हुआ है, का कब्जा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावे एवं जून 2018 से कब्जा दिए जाने तक 5,000 रूपये वार्षिक हर्जा भी वादीगण को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। साथ ही दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरन कोई निर्माण कर ले तो प्रतिवादीगण के खर्चे पर उक्त निर्माण को हटवाया जावे। खर्चा मुकदमा व अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो, वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादीगण के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए हुए है।

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी। जो कि वादपत्र के अनुसार रही। वकील वादीगण ने उनके खातेदारी भूमि खसरा संख्या 2210 में से 0.0647 हैक्टेयर भूमि पर किए गए कब्जे को हटवाकर भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वापस वादीगण को दिलाए जाने हेतु वाद वादीगण डिक्री किए जाने का कथन किया है।

प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा की गई बहस के दौरान प्रस्तुत सम्पूर्ण तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों का अवलोकन कर गहनता पूर्वक मनन किया गया।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2076–2079 खाता संख्या 287 का खसरा संख्या 2210 रकबा 0.0647 भूमि ग्राम बडौदिया में स्थित है जो कि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। साथ ही वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 में अंकित तथ्यों अनुसार विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी है जिसमें से खसरा संख्या 2210 रकबा 0.0647 भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादीगण प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। चूंकि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर केवल अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हो गए जिससे उन्हे कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जमाबंदी अनुसार विवादित भूमि वादीगण के खातेदारी व अधिकार की है जिस पर किए गए कब्जे को प्रतिवादीगण से हटवाकर वापस कब्जा प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य भी अखण्डित रहे है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खाता संख्या 287 ग्राम बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया जो कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है, में से खसरा संख्या 2210 रकबा 0.0647 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा किए गए कब्जे में से उनको बेदखल किए जाने आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हिण्डोली नियमानुसार प्रतिवादीगण को बेदखल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कर कब्जा वादीगण को सम्भलाये। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 13.08.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली